दिनांक 13 जुलाई 2022 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

प्रतिबंधित प्लास्टिक पर और कड़ाई से होगी कार्रवाई निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने दल का किया गठन, नोडल अधिकारी की भी की नियुक्ति, आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए भी भिलाई की टीम रहेगी तैयार

भिलाई नगर/ निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन कर दिया है तथा नोडल अधिकारी भी उन्होंने नियुक्ति कर दिया है। टीम में 15 अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है जिसके नोडल अधिकारी अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं सहायक नोडल अधिकारी उपायुक्त रामाकांत साहू होंगे। नोडल अधिकारी ने इस संबंध में अधिकारी/कर्मचारियों की बैठक ली और बैठक में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए इसके साथ ही रोका छेका संकल्प अभियान के तहत आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए भी दल का गठन किया गया है इस दल में भी 15 अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। दल नियमित रूप से आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई करेगी। इसका आदेश भी निगमायुक्त ने जारी कर दिया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर लगाम लगाने के लिए गठित दल के साथ तोड़फोड़ दस्ता प्रभारी एवं दल के कर्मचारी तथा सुरक्षा गार्ड भी होंगे जो करवाई के लिए टीम को सहयोग प्रदान करेंगे। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई के लिए गठित टीम में परमेश्वर चंद्राकर , कमलेश द्विवेदी, जगदीश तिवारी, अनिल मिश्रा, अंजनी सिंह, मलखान सिंह सोरी, सुदामा परघनिया, वीरेंद्र बंजारे, बालकृष्ण नायडू, महेश कुमार पांडे, अनिल मिश्रा, वीके सैमुअल एवं हेमंत मांझी सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने आयात , निर्यात और बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के कई सारे प्रोडक्ट पर पाबंदी लगने के बाद से नगर पालिक निगम भिलाई सतर्क हो गया था और इस पर कार्रवाई करने से पूर्व व्यापारियों , व्यवसायियों, दुकानदारों, विक्रेताओं एवं क्रेताओ को सूचना दी जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक इस प्रकार के प्लास्टिक है कि इसे एक बार उपयोग करने के बाद इसे दोबारा उपयोग में लाया नहीं जा सकता, इसे केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं प्लास्टिक स्टिक युक्त इयरबड्स , गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डांडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडीया, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक के प्लेट, कप, गिलास, काटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में , निमंत्रण कार्ड और सिगरेट का पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टायरस इसके साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पीवीसी एवं क्लोरीन युक्त प्लास्टिक अर्थात विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार सामग्री जैसे पीवीसी के बैनर फ्लेक्स , होर्डिंग, फोमबोर्ड का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।